राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.14(7)खान/ग्रुप–2/2009 जयपुर, दिनांक : 13 DEC 2011

13 DEC 2011

आदेश

राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1.0(3)राज–6/2001/07 दिनांक 25.04.2011 के द्वारा तत्काल प्रभाव से (दिनांक 25.04.2011 से) चारागाह भूमि में बिना राजस्व विभाग की अनुमति के एन.ओ.सी. पर रोक लगाई गई है । इसे देखते हुए राजस्व विभाग की सहमति से निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिनांक 25.04.2011 तथा उसके बाद से ऐसे कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाए, जिनमें आवेदन दिनांक 25.04.2011 या उसके बाद किया गया है तथा आवेदित भूमि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चारागाह है ।
2. दिनांक 25.04.2011 से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों में एल.ओ.आई. जारी करते समय या भारत सरकार से पूर्वानुमति / शिथिलन हेतु प्रकरण भेजते समय यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जिस भाग में चारागाह स्थित है, उसकी एमएल या पीएल राजस्व विभाग की स्वीकृति के पश्चात् ही जारी की जाएगी । यदि राजस्व विभाग स्वीकृति नहीं देता है तो चारागाह वाला भाग काटकर स्वीकृति दी जाएगी, बशर्ते कि शेष बचा हुआ भाग नियमानुकूल है ।
3. नये एमएल / पीएल से संबंधित जिन प्रकरणों में 25.04.2011 से पूर्व जिला कलेक्टर से अथवा ये दिशा–निर्देश जारी होने की तिथी तक राजस्व विभाग से चारागाह के खनन हेतु उपयोग के लिए एन.ओ.सी. जारी हो चुकी है, ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति / संविदा निष्पादन इस शर्त पर किया जा सकेगा कि चारागाह भाग में खनन से पूर्व राजस्व विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी । यहॉं यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में जिला कलेक्टर या राजस्व विभाग से नये पट्टों (25.04.2011 या उसके बाद जारी होने वाले) हेतु चारागाह में खनन हेतु एन.ओ.सी. मिल चुकी है, उनमें भी चारागाह भाग में खनन प्रारंभ करने से पूर्व राजस्व विभाग से पुनः एन.ओ.सी. लेनी होगी, यदि खनन दिनांक 25.04.2011 या उसके बाद शुरू होता है ।

SME-II
16/12

शासन उप सचिव

5674
16/12/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति वितरीत करावें ।
7. अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर
8. अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / भरतपुर / भीलवाड़ा / बीकानेर
9. रक्षित पत्रावली ।

cc Rules
16/12

शासन सहायक सचिव